मु०प्र०10/22

दानाराम बनाम फूलीदेवी

23-1-23	अभिभाषक अपीलांट्/अप्रार्थी व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2/प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली पर अभिभाषक उभय पक्ष को प्राथमिक आपत्ति पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश प्राथमिक आपत्ति दिनांक 13-2-23 को पेश हो।	
13-2-23	अभिभाषक अपीलांट्/अप्रार्थी व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2/प्रार्थी उपस्थित। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2/प्रार्थी द्वारा प्राथमिक आपत्ति पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट्/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 14 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। जबकि प्रकरण की वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि अपीलांट् द्वारा तहसीलदार, बीकानेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए आपसी सहमति के आधार पर खाता विभाजन करने की मांग किये जाने पर तहसीलदार, बीकानेर द्वारा अपने आदेश क्रमांक राजस्व/ओके/21/दिनांक 01—06—2020 के माध्यम से वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया जाकर आराजी जैर का नामान्तरणकरण संख्या 2594 दिनांक 06—06—2020 दर्ज रिकार्ड होकर तहसीलदार, बीकानेर द्वारा दिनांक 09—06—2020 को उक्त नामान्तरणकरण स्वीकृत किया जा चुका है तथा रिकार्ड ऑफ राईट्स अर्थात जमाबन्दी संवत् 2076—2079 के अनुसार खसरा नम्बर 707/1, 707/8 व 707/9 ग्राम नालबड़ी के खातेदार प्रेम कुमार पुत्र बद्री प्रसाद, दानाराम पुत्र ताजूराम, ईश्वरसिंह पुत्र सुरजनसिंह, गणेशाराम पुत्र मालाराम, शंकरराम पुत्र धूड़ाराम, दुर्गाराम पुत्र रूपाराम, दर्शनसिंह पुत्र गुरचरण सिंह, फूलाराम पुत्र चेतनराम, फूलकंवरी पत्नी अशोक कुमार आदि दर्ज रिकार्ड हो चुके थे। जिनका परस्पर सहमति से उक्त वादग्रस्त भूमि तादादी 12.65 हेक्टर भूमि का खाता विभाजन होकर अलग—अलग कायम हो चुके है। इन सभी खातेदारान् में से प्रेम कुमार, गणेशाराम, शंकरराम, दर्शनसिंह, फूलाराम, फूलकंवरी आदि को आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी पत्रावली में पक्षकार स्थापित नहीं किये गये है। इसी स्थिति में अपीलांट् की प्रस्तुत अपील आवश्यक पक्षकारों के अभाव में खारिज फरमाई जावे। उन्होनें आगे कथन किया कि अपीलांट्/अप्रार्थी को उक्त तमाम स्थिति की जानकारी होते हुए भी व अपीलांट्/अप्रार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 10 व 11 के साथ मिलकर वादग्रस्त भूमि ग्राम नालबड़ी के खसरा नम्बर 707/1, 707/8 व 707/9 तादादी	

12.65 हेक्टर भूमि में से अपने हक व हिस्से की भूमि तादादी 1.0100 हेक्टर भूमि का खाता विभाजन करवाकर अलग से कब्जा भी प्राप्त कर लिया गया है। जिसके नये खसरा नम्बर 2253/707 बने है तथा जमाबन्दी में इस आश्य का अंकन हो चुका है। इस प्रकार अपीलांट्/अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि का विभाजन पूर्व में करवाते हुए अपना खाता अलग करवा लिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्/अप्रार्थी प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट्/अप्रार्थी द्वारा इस तमाम तथ्यों की जानकारी होते हुए भी प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। मियांद के प्रार्थना पत्र पर पर मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे समस्त कारण वेग एवं मिथ्या कारण है, जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। अतः रेस्पोडेन्ट्स की प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जाकर अपीलांट्/अप्रार्थी की अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2/प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज 697 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्/अप्रार्थी ने प्राथमिक आपत्ति पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट् द्वारा अपील प्रस्तुत करते समय सभी आवश्यक पक्षकारों को बतौर रेस्पोडेन्ट प्रतिस्थापित किया गया है। चूंकि वादग्रस्त भूमि के सभी सह खातेदार है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष इस आश्य की कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। अब अपील के स्तर पर उक्त आपत्ति उठाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मात्र न्यायालय को गुमराह करने की नियत मात्र से उक्त आपत्ति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपीलांट् द्वारा जानकारी के दिन से उक्त अपील अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। अपीलांट् को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16-01-2022 को प्राप्त हुई। इससे पूर्व उक्त आदेश की जानकारी अपीलांट् को प्राप्त नहीं थी। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में दिनांक 01-06-2022 को आपसी सहमति से विभाजन का वर्णन किया गया है, जिसकी जानकारी कभी अपीलांट् को नहीं रही है। इस आदेश की जानकारी अपीलांट् को दिनांक 07-06-2022 को प्राप्त हुई है। अपीलांट् एक अनपढ़ व्यक्ति है। जिसको हस्ताक्षर करना नहीं आता है तथा अपीलांट् द्वारा जब वादग्रस्त भूमि को क्रय किया गया था तब भी विक्रय पत्र पर अपीलांट के अगूंठा निशानी अंकित है। इससे स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि

आपसी सहमति से करवाया गया विभाजन अपीलांट् की पीठ पीछे करवाया गया है। इसलिए अपीलांट् को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं रही है। अतः रेस्पोडेन्ट की प्राथमिक आपत्ति खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्/प्रार्थी द्वारा प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हो चुका है तथा तमाम राजस्व रिकार्ड में उक्त विभाजन के अनुसरण में अंकन किया जा चुका है। जिसकी जानकारी अपीलांट्/अप्रार्थी को पूर्व से ही है। ऐसी स्थिति में पुनः उसी भूमि के बाबत् मियांद बाहर अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम नालबड़ी के खेत खसरा नम्बर 706 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 707 रकबा 27.58 हेक्टर कुल तादादी 27.60 हेक्टर भूमि के बाबत् अदालत मातहत सहायक कलेक्टर, बीकानेर द्वारा पारित विभाजन के आदेश दिनांक 29–12–2011 व 10–05–2012 से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति के माध्यम से यह तथ्य सामने आते है कि अपीलांट् व अन्य सह खातेदरों के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर आपसी सहमति से पूर्व में ही विभाजन हो चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील के औचित्य/मियांद के बिन्दु का प्रश्न का निर्धारण किया जाना है। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा खाता विभाजन आपसी सहमति जोकि वादग्रस्त भूमि के सभी सहखातेदारों द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसमें सभी सह खातदारों द्वारा तहसीलदार, बीकानेर को अभिलिखित किया गया है कि हम दानाराम, प्रेमकुमार, ईश्वरसिंह, दर्शनसिंह, फूलाराम, दुर्गाराम, फुलकंवरी, गणेशाराम, शंकरराम खाता संख्या 437 के काश्तकारान्, सभी मिलकर आपसी सहमति से उक्त की निम्न खसरा नम्बरान् की आराजीयात् का विभाजन निम्नानुसार आपसी सहमति से बंटवारा किया जाकर मौके पर कब्जे काश्त है, अतः राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार बंटवारें के आदेश जारी कराने का कष्ट करें। उक्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार, बीकानेर के समक्ष

प्रस्तुत होने पर तहसीलदार द्वारा सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित करवाते हुए प्रस्तावित बंटवारा दिनांक 01–06–2020को स्वीकृत किया गया है। जिस पर अपीलांट् दानाराम के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर अंकित है। उक्त प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए रास्ते के आज्ञापक प्रावधान का भी ध्यान रखा गया है। उक्त खाता विभाजन के उपरान्त वादग्रस्त भूमि का नामान्तरणकरण संख्या 2594 दिनांक 06–06–2020 दर्ज रिकार्ड होकर तहसीलदार, बीकानेर द्वारा दिनांक 09–06–2020 को उक्त नामान्तरणकरण स्वीकृत किया जा चुका है तथा अपीलांट् का हक व हिस्से का खाता अलग कायम होकर जमाबन्दी सवंत् 2076–2079 दर्जशुदा है। जिससे साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन होकर राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्य सामने होते हुए भी अपीलांट् द्वारा उसी भूमि के बाबत् अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई युक्तियुक्त व तर्कसंगत कारण प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट् यदि उक्त सहमति से हुए विभाजन से किसी प्रकार से व्यथित भी है तो इसके लिये वह सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने हेतु स्वतन्त्र है।

प्रकरण में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा मियांद के बिन्दु पर उठाई गई आपत्ति का प्रश्न है, अपीलांट् द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित होने के करीब 11 वर्ष उपराक्त उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में सर्वप्रथम उल्लेखनीय है कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष जैरकार वादपत्र पर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये राष्ट्रीय समाचार पत्र साया करवाने के आदेश जारी किये जाने पर पंजाब केसरी समाचार पत्र दिनांक 28–10–2011 के संस्करण में प्रकाशित करवाने क उपरान्त भी उनके उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलांट् द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में अभिलिखित किया गया है कि उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 16–01–2022 को प्राप्त हुई जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपीलांट् के कब्जे काश्त की भूमि पर पक्का निर्माण करवाने आये। इस संबंध में हमने पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबन्दी सवंत् 2076–2079 का अवलोकन किया। उक्त जमाबन्दी के अवलोकन से साबित होता है कि अपीलांट् द्वारा अपना खाता अलग से तरमीम करवाते हुए राजस्व रिकार्ड रिकार्डस ऑफ राईट्स जमाबन्दी में अंकित करवाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का यह कथन कि उन्हें

अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त नहीं थी, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि को लेकर पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से खाता विभाजन हो चुका है तथा तमाम राजस्व रिकार्ड में उक्त खाता विभाजन के अनुसरण में इन्द्राज हो चुके है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट्स/प्रार्थी की प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जाकर अपीलांट् की अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

13/2/23

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

	अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त नहीं थी, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि को लेकर पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से खाता विभाजन हो चुका है तथा तमाम राजस्व रिकार्ड में उक्त खाता विभाजन के अनुसरण में इन्द्राज हो चुके है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट्स/प्रार्थी की प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जाकर अपीलांट् की अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो। 13/2/23 (रामस्वरूप चौहान) राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर	